न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल, ग्वालियर मध्ययप्रदेश

R3484-II/14

1.गोविंदराम पिता श्री मूलचंद जी जाति गुर्जर आयु 60 साल
व्यवसाय खेती निवासी ग्राम चौथखेडा तहसील व जिला नीमच
2.हिम्मतसिंह पिता श्री गोविंदराम जी जाति गुर्जर आयु 35 साल
व्यवसाय खेती निवासी ग्राम चौथखेडा तहसील व जिला नीमच---प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1.श्रीमति संतोश पति डा. लक्ष्मीनारायण जी चमडिया
निवासी बंगला नंबर 24 नीमच तहसील व जिला नीमच
2.मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार महोदय नीमच ---विपक्षीगण

श्री .... द्वारा आज दि. 14.10.14 को प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू--राजस्व संहिता

मान्यवर महोदय,

सेवा में प्रार्थीगण/निगरानीकर्तागण की और से यह निगरानी सदर श्रीमान के समक्ष न्यायालय तहसीलदार महोदय के द्वारा प्रकरण कमांक 58/अ-6/2013-14 श्रीमती संतोश चमडिया विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 10.09.2014 के विरूद्ध बनाराजगी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1. यह कि निगरानीकर्तागण के मालिकी व स्वामित्व की कृषिभूमियां मौजा ग्राम चौथखेडा तहसील व जिला नीमच में स्थित है जिनका भूमि सर्वे कमांक 551,552,566 पे.की. कुल किता 3 कुल रकबा 1.43 हें. भूमि के विकय बाबत् एक अनुबंध विपक्षी क. 1 के पति डा. लक्ष्मीनारायण पिता श्री रामगोपाल जी चमडिया निवासी नीमच से रूपये 73,39,285/- रूपये में दिनांक 11.06.2012 को किया,जो असल विकय अनुबंध पत्र विपक्षी कमांक 1 के पति व कर्ता खानदान डा. लक्ष्मीनारायण चमडिया के पास ही था व निगरानीकर्ता ने अनुबंध के अपने भाग का पालन करते हुवे निगरानीकर्तागण ने डा. लंक्ष्मीनारायण चमडिया की पत्नि विपक्षी कमांक 1 के नाम से उक्त वर्णित भूमि का विकय पत्र का नि पादन करवाया परन्तु विपक्षी व उनके पति द्वारा अनुबंध अनुसार वर्णित विकय राशि रूपये 73,39,285/- पर नही करते हुवे मात्र 15,30,000/--रूपये पर किया और निगरानीकर्ता को भी विकय राशि चैक द्वारा 15,30,000/--रूपये ही अदा किये जिसका विरोध निगरानीकर्तागण द्वारा विपक्षी व उनके पति से किया गया तो उनके द्वारा निगरानीकर्तागण को आश्वासन दिया की अधिक राशि पर विकय पत्र का निष्पादन करने पर इन्कमटेक्स की अदायगी विपक्षी व उनके पति को करनी पडेगी इसलिए उनके द्वारा अभी उक्त राशि पर ही यह विकय पत्र का निष्पादन किया जा रहा है और निगरानीकर्तागण को उनकी बाकी विकय राशि शिघ्र ही अदा कर दी जायेगी, विपक्षी क. 1 व उनके पति निगरानीकर्ता के परिचित होने से उन पर निगरानीकर्ता द्वारा विश्वास कर लिया गया परन्तु विपक्षी व उनके पति के मन में बदयांती आने से उनके द्वारा निगरानीकर्तागण को बाकी विकय राशि अदा नही की जिस पर से निगरानीकर्तागण ने एक आपत्ति तहसीलदार महोदय नीमच के समक्ष विकय पत्र के

R 3484-II/14

28-12-15

आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उनके द्वारा Not Press का आवेदन प्रस्तुत किया गया। अनावेदक 2 शासन की ओर से श्री जी.एस. त्यागी पैनल अधिवक्ता उप०। आवेदक अधि० द्वारा Not Press का प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्र०वा०हो

सचिव

28-12-15

[कृ. प. उ.